<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2172

01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात पीएसयू के एनपीए

2172. श्री अरविंद सावंतः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 2015-16 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में इस्पात क्षेत्र का योगदान कितना है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में इस्पात उद्योग का कुल कितना प्रतिशत योगदान है;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात कंपनियों को उनके ऋण चुकाने में सहायता करने के लिए कुछ उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारतीय इस्पात उद्योग का योगदान लगभग 2% है।

(ख): दिनांक 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बेसिक धातु और धातु उत्पाद श्रेणी में लोहा और इस्पात क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में 23.70% की हिस्सेदारी है।

(ग) और (घ): इस्पात कंपनियां आरबीआई की स्कीमों नामशः 5/25 स्कीम और दबावग्रस्त कंपनियों के ऋणों की पुनर्संरचना हेतु दबावग्रस्त संपत्तियों की स्थायी संरचना स्कीम (एस4ए) का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

******